प्रेस विज्ञप्ति
05.08.2025

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), पणजी आंचलिक कार्यालय ने 28.07.2025 को कृष्ण कुमार उर्फ विजय कुमार जायसवाल उर्फ विजय किशन जायसवाल, उनकी पत्नी श्रीमती रश्मि उर्फ रश्मि जायसवाल और उनके द्वारा प्रवर्तित 3 कंपनियों, जिनमें वे निदेशक हैं, सहित 5 आरोपियों के विरुद्ध माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए), उत्तरी गोवा में अभियोजन शिकायत (पीसी) दायर की है। यह अभियोजन शिकायत पीएमएलए की धारा 3 के तहत परिभाषित धन शोधन के अपराध के लिए दायर की गई है, जो अधिनियम की धारा 4 के तहत दंडनीय है।

यह मामला कृष्ण कुमार उर्फ विजय कुमार जायसवाल उर्फ विजय किशन जायसवाल और अन्य के खिलाफ गोवा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश में कानून प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा आईपीसी, 1860, गोवा जमाकर्ताओं के हितों का संरक्षण (वित्तीय प्रतिष्ठान) अधिनियम, 1999 और इनामी चिट एवं धन परिचालन स्कीम (पाबन्दी) अधिनियम, 1978 की विभिन्न धाराओं के तहत अपराधों के लिए दर्ज की गई कई एफआईआर से उत्पन्न हुआ है, जिनमें से आईपीसी 1860 की धारा 420 और 120 बी पीएमएलए के तहत अनुसूचित अपराध हैं।

ईडी की जांच से पता चला कि आरोपियों ने साजिश के तहत युडिवो मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड, युडिवो लाइफकेयर प्राइवेट लिमिटेड और युडिवो प्रॉपर्टी एंड प्रॉफिट्स प्राइवेट लिमिटेड नामक तीन कंपनियां बनाईं और प्रत्यक्ष बिक्री और निवेश योजनाओं की आड़ में धोखाधड़ी वाली मल्टी-लेवल मार्केटिंग (एमएलएम) योजनाएं शुरू कीं। कई राज्यों के भोले-भाले निवेशकों को उच्च रिटर्न और प्रोत्साहन के झूठे वादों का लालच देकर आम जनता से लगभग 3 करोड़ रुपये की वसूली की गई। एकत्रित धन का दुरुपयोग किया गया और उसे निजी इस्तेमाल के लिए इस्तेमाल किया गया, जिसमें अचल संपत्ति की खरीद और अन्य विलासिता के खर्च शामिल थे, और उपरोक्त तीन कंपनियों का इस्तेमाल धन शोधन के अपराध के लिए किया गया। आरोपियों ने स्वयं के तथा अपने स्वामित्व और नियंत्रण वाली कंपनियों के अनेक बैंक खातों के माध्यम से धनराशि को स्थानांतरित करके तथा उसका उपयोग फर्जी व्यापारिक गतिविधियों में करके अपराध की आय को बेदाग दर्शाया।

इससे पहले, ईडी ने पीएमएलए के प्रावधानों के तहत नोएडा के सेक्टर 143 स्थित गुलशन इकेबाना में आरोपियों से संबंधित 72 लाख रुपये मूल्य की एक अचल संपत्ति कुर्क की थी। पीएमएलए के तहत न्यायनिर्णयन प्राधिकरण ने इस कुर्की की पुष्टि की है।